नगर पंचायत दौलतपुर चौंक, तहसील अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवम् निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1-4-2015 से 31–3–2017

भाग–एक

1 (क) प्रारम्भिक:-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 1-376 / 81 - फिन (एल०ए०)-खण्ड–iv, दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर पंचायत दौलतपुर चौंक के लेखों का अंकेक्षण कार्य किया गया ।

अंकेक्षण अवधि अवधि 1-4-2015 से 31–3–2017 तक नगर पंचायत दौलतपुर के प्रधान/प्रशासक व सचिव निम्नानुसार थे:-

1) प्रधान

क्र० सं०	नाम	पद नाम	अवधि
1	श्रीमति सुरक्षा देवी	प्रधान	01-04-2015 से 10-01-16
	चुनाव न होने के कारण प्रधान का पद खाली रहा।		11-01-16 से 5-04-16
2	श्री सुनील वर्मा	प्रशासक (उप-मंडलाधिकारी, अम्ब)	6-04-16 से 17-08-16
3	श्रीमती बबिता देवी	प्रधान	18-08-16 से अघतन

2) सचिव नगर पंचायत

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्री सतीश कुमार	01.04.15 से 31.03.17

ख) गम्भीर अनियामिततताओं का सार :- नगर पंचायत दौलतपुर के अवधि 01.04.2015 से 31.03.2017 के लेखाओं के अंकेक्षण में पाई गई गम्भीर अनियामितताओं का सार निम्नलिखित है:-

क्र० सं०	पैरा संख्या	गम्भीर अनियमितता का संक्षिप्त विवरण	(₹) लाखों में
1	7.1	दिनांक 31-03-2017 तक अनुदानों की अनुपयुक्त राशि	69.85
2	7.2	अनुदानों के व्यय से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्रों को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	159.25
3	8	दिनांक 31-03-17 तक गृहकर, दुकान किराये व चूल्हा कर की राशि वसूली हेतु शेष	26.67

4	9	मोबाईल टावरों के स्थापना/नवीनीकरण शुल्क की वसूली न करना	0.91
5	12	सावधिक निवेश पर बैंक द्वारा कम ब्याज देना	1.31
6	13	दुकानों का किराया अनियमित रूप से कम करने के कारण नगर पंचायत को हुई हानि	0.42
7	14	खाली दुकानों को पुनः खुली बोली द्वारा किराये पर न देने के कारण नगर पंचायत को हुई वितीय हानि	2.98
8	15	अनुबन्ध की शर्तों के विपरीत प्रतिभूति राशि का अनियमित भुगतान	0.11
9	16	बस अड्डा पार्किंग का ठेका आरक्षित मूल्य से कम मूल्य पर देने के कारण नगर पंचायत को हुई वितीय हानि	0.82
10	17	कार पार्किंग का ठेका आरक्षित मूल्य से कम मूल्य पर देने के कारण नगर पंचायत को हुई वितीय हानि	0.11
11	18	गलत वेतन निर्धारण के कारण श्रीमती आशा रानी, कनिष्ठ सहायक, को वेतन एवम भत्तों के रूप में अधिक एवम गलत भुगतान	0.12
12	22	अनावश्यक क्रय	1.02
13	23	व्यर्थ व्यय	1.19
14	25	टी० डी० एस० की वसूली न करना	0.11
15	26	निर्धारित दर से कम दर पर टेंडर बिक्री करने के कारण हुई हानि	0.16

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के सम्मिलित अनिर्णीत पैरों के निपटारे हेतु कोई भी कार्यवाही नहीं की गई थी जिसके फलस्वरूप गम्भीर प्रकृति के पैरों व अन्य पैरों का कई वर्ष वीत जाने के उपरांत भी समायोजन/निपटारा संभव नहीं हो सका। अतः यह प्रकरण उच्चाधिकारियों के ध्यान में इस आशय के साथ लाया जाता है कि नगर पंचायत अधिकारियों को गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित विभिन्न प्रकार के पैरों और विशेषकर अत्यन्त गम्भीर प्रकृति की आपतियों से संबंधित पैरों के निपटारे हेतु समयबद्ध ढंग से अपेक्षित कार्यवाही करने हेतु उचित निर्देश जारी करें ताकि गत वर्षों से अनिर्णीत पैरों का समायोजन हो सके। गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित पैरों की नवीनतम स्थिति का विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट – (क)** पर दिया गया है ।

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण :-

नगर पंचायत दौलतपुर के लेखों अवधि 1-4-2015 से 31-3-2017 तक का अंकेक्षण कार्य श्री राजकुमार, अनुभाग अधिकारी व श्री सुशील कुमार, आर्टिकल असिस्टेंट द्वारा दिनांक 3-07-2017 से 29-07-2017 तक दौलतपुर मे किया गया, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिये गये हैं। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2015-16	11/2015	11/2015
2016-17	3/2017	11/2016

प्रमाणित किया जाता है कि वर्तमान अंकेक्षण एवम् निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण सचिव नगर पंचायत दौलतपुर द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। नगर पंचायत द्वारा प्रदान की गई किसी भी प्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना प्रदान न करने के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा ।

3 **अंकेक्षण शुल्क :-**

नगर पंचायत के अवधि 04/15 से 03/17 तक के लेखाओं के अंकेक्षण एवम निरीक्षण का अंकेक्षण शुल्क ₹36000 आँका गया । सचिव नगर पंचायत दौलतपुर से अनुभाग अधिकारी की अंकेक्षण अधियाचना संख्या 147 दिनांक 24-07-2017 द्वारा उक्त राशि को निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-9 हिमाचल प्रदेश को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भेजने हेतु अनुरोध किया गया। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को के० सी० सी० बी० दौलतपुर के बैंक ड्राफ्ट संख्या 333013 दिनांक 24-07-2017 द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा विभाग, शिमला-9 के नाम पंजीकृत डाक द्वारा भेज दिया गया है। अंकेक्षण शुल्क का विवरण **परिशिष्ट -(क-1)** पर दिया गया है ।

4 **वितीय स्थिति :-**

नगर पंचायत दौलतपुर के लेखाओं अवधि 1-4-2015 से 31.3.2017 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है जिसका विवरण **परिशिष्ट -(ख)** पर दिया गया है ।

वर्ष 2015-16

	आरम्भिक शेष	वर्ष के दौरान कुल प्राप्ति	कुल राशि	व्यय	शेष राशि
स्वंय स्त्रोत	4826990.13	4468513	9295503.13	3487189	5808314.13
अनुदान	7093930.76	7488074	14582004.76	8322282.98	6259721.78
योग	11920920.89	11956587	23877507.89	11809471.98	12068035.91

वर्ष 2016-17

	आरम्भिक शेष	वर्ष के दौरान कुल प्राप्ति	कुल राशि	व्यय	शेष राशि
स्वंय स्त्रोत	5808314.13	4726722.25	10535036.38	3553437	6981599.38
अनुदान	6259721.78	8328819	14588540.78	7603062.68	6985478.10

योग 12068035.91 13055541.25 25123577.16 11156499.68 13967077.48

4.1 बैंक समाधान विवरण :-

दिनांक 31.03.2017 को रोकड़ बही के अनुसार अन्तिम शेष= 13967077.48

जमा:- चेक निर्गमित किए गए लेकिन दिनांक 31.03.2017 तक भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए **= 623769**

क्रम संख्या	चेक संख्या	चेक जारी करने की तिथि	बैंक का नाम व खाता संख्या	भुगतान की तिथि	राशि
1	232767	16-03-2017	के० सी० सी० बी० दौलतपुर 20132005307	5-05-2017	3200
2	232772	22-03-2017	के० सी० सी० बी० दौलतपुर 20132005307	5-04-2017	14000
3	712331	16-03-2017	पी० एन० बी० दौलतपुर 3957000100007350	4-05-2017	10000
4	712337	21-03-2017	पी० एन० बी० दौलतपुर 3957000100007350	3-04-2017	1500
5	712338	31-03-2017	पी० एन० बी० दौलतपुर 3957000100007350	3-04-2017	250926
6	712339	31-03-2017	पी० एन० बी० दौलतपुर 3957000100007350	21-04-2017	47692
7	712340	31-03-2017	पी० एन० बी० दौलतपुर 3957000100007350	21-04-2017	37203
8	712341	31-03-2017	पी० एन० बी० दौलतपुर 3957000100007350	7-04-2017	3821
9	712342	31-03-2017	पी० एन० बी० दौलतपुर 3957000100007350	6-04-2017	595
10	712343	31-03-2017	पी० एन० बी० दौलतपुर 3957000100007350	17-04-2017	1602
11	712344	31-03-2017	पी० एन० बी० दौलतपुर 3957000100007350	7-04-2017	66554
12	712346	31-03-2017	पी० एन० बी० दौलतपुर 3957000100007350	17-04-2017	31550
13	712347	31-03-2017	पी० एन० बी० दौलतपुर 3957000100007350	6-04-2017	69930
14	712348	31-03-2017	पी० एन० बी० दौलतपुर 3957000100007350	6-04-2017	52300
15	712349	31-03-2017	पी० एन० बी० दौलतपुर 3957000100007350	6-04-2017	32896
				योग	**623769**

ज़मा:- खाता संख्या 20132005307 में दिनांक 12-09-2016 को ₹260, 10-01-2017 को ₹86 व खाता संख्या 5136101000105 में दिनांक 7-12-2016 को ₹2 व 24-01-2017 को ₹30 अधिक जमा करवाई गई राशि

= 378

घटाव:- दिनांक 24-01-2017 को डिमांड ड्राफ्ट के रूप में प्राप्त की गई आय लेकिन दिनांक 31-03-2017 तक बैंक द्वारा क्रेडिट नहीं दिया गिया = **1400**

दिनांक 31.03.2017 को बैंक में सावधिक निबेश व बचत खाते में जमा शेष राशि= 14589824.48

(क) दिनांक 31-03-2017 को अन्तिम शेष का विवरण :---

क्रम संख्या	खाता संख्या	बैंक का नाम	राशि
1	20132005307	के० सी० सी० बी० दौलतपुर चौंक	1045925
2	3957000100007350	पी० एन० बी दौलतपुर चौंक	7345717.85
3	5136101000105	केनरा बैंक दौलतपुर चौंक	1359181
4	20014101119	के० सी० सी० बी० दौलतपुर चौंक	27175
5	3957000100076561	पी० एन० बी दौलतपुर चौंक	6512.50
6	3957000100001222	पी० एन० बी दौलतपुर चौंक	25013
7	20132005329	के० सी० सी० बी० दौलतपुर चौंक	401831
8	20132005341	के० सी० सी० बी० दौलतपुर चौंक	7977
9	20132005410	के० सी० सी० बी० दौलतपुर चौंक	13508
10	50063375634	के० सी० सी० बी० दौलतपुर चौंक	0
11	50100190049961	एच० डी० एफ० सी० गग्रेट	401155
12	39570001000046579	पी० एन० बी दौलतपुर चौंक	101408
13	55096432022	एस० बी० आई० दौलतपुर	483887.15
14	55096363781	एस० बी० आई० दौलतपुर	17381.34
15	50100067132408	एच० डी० एफ० सी० गग्रेट	1382555.64
16	69837	एच० डी० एफ० सी० गग्रेट	0
17	एच० डी० एफ० सी० गगरेट में सावधिक निवेश के अन्तर्गत निवेशित राशि		1970597
		योग	**14589824.48**

4.2 सावधिक निवेश:-

दिनांक 31.03.2017 तक सावधिक निवेश के अन्तर्गत निवेशित राशि का विवरण निम्नानुसार था ।

क्रम संख्या	एफ० डी० संख्या	निवेश की तिथि	निवेशित राशि	परिपक्कता तिथि	परिपक्कता राशि	ब्याज दर	अवधि	बैंक का नाम
1	50300086143219	18-04-2016	1970597	4-05-2017	2129275	7.5%	1 वर्ष 16 दिन	एच० डी० एफ० सी० गग्रेट

5 पेंशन एवम् उपदान निधि की वितीय स्थिति:-

नगर पंचायत द्वारा **परिशिष्ट-(ग)** पर अंकेक्षण को प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार पेंशन एव उपदान निधि की वितीय स्थिति का विवरण निम्नलिखित है ।

वितीय वर्ष	आरम्भिक शेष	आय	कुलयोग	व्यय	अन्तिम शेष
2015-16	5043626	1095810	6139436	514100	5625336
2016-17	5625336	1086218	6711554	764279	5947275

दिनांक 31-03-2017 को बैंक में सावधिक निवेश व बचत खाते में शेष राशि :-

क्रम संख्या	खाता संख्या	बैंक का नाम	राशि
1	395700100023657	पी० एन० बी० दौलतपुर चौंक	540867
2	दिनांक 31-03-2017 तक सावधिक निवेश के अन्तर्गत निवेशित राशि		5406408
		योग	**5947275**

5.1 पेन्शन एवं उपदान निधि में से सावधिक निवेश:-

दिनांक 31.03.2017 तक सावधिक निवेश के अन्तर्गत निवेशित राशि का विवरण निम्नानुसार था।

क्र0 सं0	एफ० डी० संख्या	निवेश की तिथि	निवेशित राशि	परिपक्वता तिथि	परिपक्वता राशि	ब्याज दर	अवधि	बैंक का नाम
1	65190697689	4-03-2017	4946653	4-03-2018	5296906	6.90%	1 वर्ष	एस० बी० आई० दौलतपुर चौंक
2	65228718714	27-03-2017	459755	27-03-2018	492308	6.90%	1 वर्ष	एस० बी० आई० दौलतपुर चौंक
		योग	**5406408**					

6 नगर पंचायत दौलतपुर के तीन वर्षो की आय व व्यय का विवरण:-

नगर पंचायत दौलतपुर की गत तीन वर्षो की आय व व्यय का विवरण निम्नानुसार है:-

वितीय वर्ष	आय	व्यय
2012-13	10943410	9875017
2013-14	11297942	11848128
2015-16	17235991	13718051

7 अनुदान:-

अंकेक्षण अवधि 1.4.15 से 31.3.17 तक विभिन्न संस्थाओं से नगर पंचायत को प्राप्त अनुदान राशियों की वितीय स्थिति निम्नानुसार है। विस्तृत विवरण इस प्रतिवदेन के **परिशिष्ट-(घ)** पर दिया गया है ।

वितीय वर्ष	आरम्भिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त राशि	कुलयोग	वर्ष के दौरान व्यय राशि	अन्तिम शेष
2015-16	7093930.76	7488074	14582004.76	8322282.98	6259721.78
2016-17	6259721.78	8328819	14588540.78	7603062.68	6985478.10

7.1 अनुदानों ₹69.85 लाख व्यय हेतु शेष:-

अंकेक्षण को **परिशिष्ट -(घ)** के अनुसार उपलब्ध करवाई गयी सूचना के अनुसार दिनांक 31-03-2017 को गत वर्षों के अनुदानों के रूप में प्राप्त राशियों में से ₹6985478 व्यय हेतु शेष पाई गई। अनुदान राशियों का अत्याधिक मात्रा में शेष रहना व अनुदान राशियों को निर्धारित समयावधि के भीतर निर्धारित उदेश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति

हेतु व्यय न कर पाने के कारण जहाँ एक ओर अनुदानों का अनावश्यक संग्रह हुआ है वहीं दूसरी तरफ नगर पंचायत के विकासात्मक कार्य भी प्रभावित हुए हैं।

अत: अनुपयुक्त इस राशि को समयवध प्रयोग न किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए एवं अनुपयुक्त इस राशि को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात निर्धारित उदेश्यों एवम् लक्ष्यों पर समयवध व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यर्पण सम्बन्धित विभाग को किया जाए।

7.2 ₹159.25 लाख के व्यय से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत न करना:-

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना **परिशिष्ट-(घ)** के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान अनुदानों में से वितीय वर्ष 2015-16 में ₹8322282.98 व 2016-17 में ₹7603062.68 कुल ₹15925345.66 का व्यय किया गया दर्शाया गया है। लेकिन अनुदान की राशि जिन उदेश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु नगर पंचायत द्वारा व्यय की गयी है की सत्यापना अंकेक्षण के दौरान सम्भव न हो सका क्योंकि नगर पंचायत द्वारा अनुदान रजिस्टर को अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया व न ही अनुदानों के व्यय से सम्बन्धित जारी किये गये उपयोगिता प्रमाण पत्र सत्यापना हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गये। अत: अंकेक्षण अवधि के दौरान प्रत्येक अनुदान राशि के व्यय से सम्बन्धित सम्पूर्ण ब्यौरा जैसे कि माह /दिनांक, बिल/वाउचर इत्यादि से संबन्धित विवरण अनुदान रजिस्टर में दर्ज किए जाएं व सम्पूर्ण अभिलेख सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए, ताकि व्यय की सत्यता की पुष्टि की जा सके।

8 गृहकर, दुकान किराये व चूल्हा कर की ₹26.67 लाख वसूली हेतु शेष:-

दिनांक 31.03.2017 तक निम्न शीर्षों के अंतर्गत ₹2667137 की वसूलियां निम्न विवरनानुसार शेष थी ।

क्रम संख्या	विवरण	राशि	परिशिष्ट
1	गृहकर	2316931	**ड.-1**
2	दुकान किराया	232521	**ड.-2**
3	चुल्हा टैक्स	117685	**ड.-3**
	योग	**2667137**	

अतः नगर पंचायत द्वारा उक्त राशि की वसूली हेतु नियमानुसार ठोस कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाये।

8.1 गृहकर :-

दिनांक 31-03-2017 को गृहकर की ₹23.17 लाख वसूली हेतु शेष पाया जाना:-

नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण को **परिशिष्ट (ड.-1)** द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.2017 को गृहकर के रूप में ₹2316931 वसूली हेतु शेष थी। हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल एक्ट 1994 के अनुसार यदि कोई राशि/टैक्स म्युनिसिपल शुल्क इत्यादि के रूप में देय हो व देय तिथि के 15 दिन बाद भी यह आय वसूली हेतु शेष रहती है तो संबंधित नगर परिषद/नगर पंचायत सचिव लिखित से सम्बन्धित फर्म संस्था अथवा व्यक्ति को विहित प्रपत्र पर नोटिस जारी करेगा। नियम 258 के उपनियम (2) व (3) के अनुसार यदि सम्बन्धित फर्म संस्था अथवा व्यक्ति नोटिस जारी होने के 15 दिन के भीतर भी नगर पंचायत/नगर परिषद/नगर निगम को भुगतान

नहीं करता है तो सम्बन्धित सचिव देय कर राशि खर्चो व लागत वसूलने हेतु निर्धारित एवम् विहित प्रपत्र पर सम्बन्धित फर्म संस्था अथवा व्यक्ति को वारंट जारी करेगा तथा वारंट जारी करने के बाबजूद भी भुगतान न करने की स्थिति में सम्पूर्ण प्रकरण जिला समाहर्ता को वसूली हेतु प्रेषित करना अपेक्षित है । परन्तु नगर पंचायत द्वारा इस संदर्भ में आज तक कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई । अतः परामर्श दिया जाता है कि गृह कर की वसूली हेतु नियमानुसार कार्यवाही करनी सुनिश्चित की जाए ।

8.2 दुकानों के किराये के रूप में दिनांक 31-03-2017 को ₹2.33 लाख वसूली हेतु शेष:-

नगर पंचायत द्वारा **परिशिष्ट (ड.-2)** के अनुसार अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गयी सूचना के अनुसार दिनांक 31-03-2017 को किराये के रूप में ₹232521]वसूली हेतु शेष थे। हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल एक्ट 1994 के अनुसार यदि कोई राशि टैक्स म्युनिसिपल शुल्क इत्यादि के रूप में देय है देय तिथि के बाद 15 दिन तक भी यह आय वसूली हेतु शेष रहती है तब सम्बन्धित नगर पंचायत/परिषद सचिव/कार्यकारी अधिकारी लिखित रूप में सम्बन्धित फर्म, संस्था अथवा व्यक्ति को विहित पत्र पर नोटिस जारी करेगा। नियम 258 के उपनियम (2) व (3) के अनुसार यदि सम्बन्धित फर्म, संस्था अथवा व्यक्ति नोटिस जारी होने के 15 दिन के भीतर भी नगर पंचायत/नगर परिषद/नगर निगम को भुगतान नहीं करता है तब सम्बन्धित सचिव/कार्यकारी अधिकारी कर देय राशि खर्चों व लागत सहित वसूलने हेतु निर्धारित एवम् विहित प्रपत्र पर सम्बन्धित फर्म, संस्था, व्यक्ति को वारंट जारी करेगा तथा वारंट जारी करने के बावजूद भी भुगतान न करने की स्थिति में सम्पूर्ण प्रकरण जिला समाहर्ता को वसूली हेतु प्रेषित करना अपेक्षित है परन्तु नगर पंचायत द्वारा इस संदर्भ में कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई । अत: परामर्श दिया जाता है कि दुकानों के किराये की वसूली हेतु नियमानुसार कार्यवाही करनी सुनिश्चित की जाए।

8.3 नगर पंचायत द्वारा चूल्हा टैक्स ₹1.18 लाख की वसूली न करना:-

नगर पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.2017 तक चुल्हा टैक्स ₹117685 की वसूली शेष थी। हिमाचल प्रदेश नगर पंचायत अधिनियम 1994 में इस प्रकार के कर की वसूली का कोई प्रावधान नहीं है। नगर पंचायत द्वारा अनाधिकृत (Unauthorised) रूप से वसूली की जा रही है जिसे तुरन्त प्रभावी रूप से रोका जाये तथा अंकेक्षण का सुझाव है कि हिमाचल प्रदेश सरकार की अनुमति लेकर वसूली हेतु बची शेष राशि का नियमितीकरण करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा भविष्य में भी इस प्रकार की अनाधिकृत वसूली से परिहार किया जाये। चूल्हा टैक्स का विवरण **परिशिष्ट (ड.-3)** पर दिया गया है ।

9 मोबाईल टावरों के स्थापना/नवीनीकरण शुल्क ₹0.91 लाख की वसूली न करना:-

सचिव (आई० टी०) हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या: डी० ई० वी०-(आई० टी०) 2005/विविध दिनांक 22.08.2006 द्वारा नगर पंचायत क्षेत्र में यदि मोबाईल कम्पनियां अपने टावर लगाती है, तो उनसे ₹10,000 प्रति टावर इंस्टालेशन शुल्क तथा ₹5000 प्रतिवर्ष नवीनीकरण शुल्क वसूल किया जाना आपेक्षित है तथा प्रत्येक 5 वर्ष के उपरांत नवीनीकरण शुल्क में 25% की बढ़ोतरी करनी अनिवार्य है । जांच के दौरान पाया गया कि निम्न कम्पनियों ने नगर पंचायत क्षेत्र में अपने मोबाईल टावर स्थापित किए है तथा उनसे नवीनीकरण शुल्क की राशि वसूल नहीं की गई है जिसकी

वसूली शीघ्र की जाए व कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। मोबाईल कम्पनियों से वसूली योग्य राशि का विवरण निम्नानुसार है। जिसका विवरण **परिशिष्ट (च)** पर भी दिया गया है ।

क्रम संख्या	**कंपनी का नाम**	**दिनांक 31.03.2017 तक वसूली योग्य राशि**
1	बी० एस० एन० एल०	17813
2	रिलांयस	41876
3	डिशनेट वायरलैस	23750
4	एयरटेल	7813
	योग	**91252**

10 शराब शुल्क की वसूली न करना :-

सचिव नगर पंचायत दौलतपुर द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार वितीय वर्ष 2016-17 के दौरान आबकारी एवम कराधान विभाग से नगर पंचायत क्षेत्र में बेची गई शराब की बोतलों पर एक रूपये की दर से शुल्क की वसूली नहीं की गई है। अतः सम्बन्धित विभाग से विक्रय किए गई शराब की बोतलों से सम्बन्धित अभिलेख/आंकड़े अब एकत्रित करके अपेक्षित राशि की वसूली सुनिश्चित की जाए।

11 विद्युत उपयोग कर की वसूली न करना :-

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या एल० एस० जी० डी० (1) 9/94 दिनांक 24-08-2000 के अनुसार नगर पंचायत के क्षेत्र में बिजली की कुल खपत पर एक पैसा प्रति यूनिट की दर से विद्युत बोर्ड द्वारा नगर पंचायत को भुगतान किये जाने का प्रावधान था। लेकिन नगर परिषद द्वारा अवधि 1-04-15 से 31-03-17 के लिए विद्युत उपयोग कर की वसूली विद्युत विभाग से नहीं की गई है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व सम्बन्धित विभाग से इस राशि की वसूली एवम सम्बन्धित आवश्यक अभिलेख/आंकड़े एकत्रित करके आगामी अंकेक्षण को आवश्यक पड़ताल हेतु उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित किए जाए।

12 सावधिक निवेश पर बैंक द्वारा ₹1.31 लाख कम ब्याज देना:-

जांच के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत दौलतपुर चौंक में पेंशन एवम उपदान निधि से स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया दौलतपुर चौंक में वितीय वर्ष 2015-16 व 2016-17 के दौरान सावधिक निवेश के अन्तर्गत निवेशित राशियों के वसूली योग्य ब्याज से बैंक द्वारा कम ब्याज दिया गया है। जिसके कारण नगर पंचायत को ब्याज के रूप में निम्नानुसार ₹130874 की हानि हुई है।

क्रम संख्या	**एफ० डी० संख्या**	**निवेश की तिथि**	**निवेशित राशि**	**परिपक्ता तिथि**	**परिपक्ता योग्य राशि**	**वसूली/पुनः निवेशित राशि**	**ब्याज़ स्वरुप हुई हानि**	**ब्याज दर**
1	65190697609	4-03-15	4306106	4-03-16	4695435	4617260	78175	8.75%
2	65190697609	4-03-16	4617260	4-03-17	4986611	4946653	39958	7.77%
3	65228718714	27-03-15	400000	27-03-16	438185	428926	9259	8.75%
4	65228718714	27-03-	428926	27-03-	463237	459755	3482	7.77%

16 17

योग 130874

उक्त ब्याज स्वरुप हुई हानि का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 133 दिनांक 17-07-2017 के अन्तर्गत सचिव नगर पचायत दौलतपुर चौंक के ध्यानार्थ लाया गया। लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तक उक्त अधियाचना का कोई भी प्रतियुतर अंकेक्षण दल को नहीं दिया गया। अतः उक्त ब्याज स्वरुप हुई हानि की वसूली सम्बन्धित बैंक से की जानी सुनिश्चित की जाए व कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13 दुकानों का किराया अनियमित रूप से कम करने के कारण नगर पंचायत को ₹0.42 लाख की हानि बारे :-

दुकानों के किराये से सम्बन्धित अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा जिन दुकानों को अंकेक्षण अवधि के दौरान पुनः खुली बोली द्वारा आबंटित किया गया था का मासिक किराया निर्धारित करने से पूर्व पुराने मासिक किराये की राशि जिस पर पूर्व में उक्त दुकानें आबंटित थी को नज़र अंदाज़ किया गया जिसके कारण नगर पंचायत को दिनांक 31-03-2017 तक ₹41508 की आय की हानि हुई । नगर पंचायत द्वारा दुकानों के किराये को कम करने हेतु कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं किया गया। नियमानुसार गत वर्षों में किराये पर दी गई दुकानों के मासिक किराये को आरक्षित किराया निर्धारित करके खुली बोली द्वारा दुकानों को किराये पर दिया जाना अपेक्षित था। नगर पंचायत द्वारा नीलामी की दोषपूर्ण प्रक्रिया अपनाने के कारण नगर पंचायत को दिनांक 31-03-2017 तक ₹41508 की किराये की हानि हुई है। जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है ।

क्र0 सं0	दुकान सं0	पुराना दुकानदार	पुराना किराया	नया दुकानदार	नया अनुबन्ध अवधि	नया किराया	अन्तर/राशि	
1	52	श्री मेहर चन्द	2601	श्री बलराम सिंह	1-10-16 से 31-3-17	2000	601 x 6 =	3606
2	67	श्रीमती पूनम	6815	श्रीमती मोनिका	1-10-16 से 31-3-17	3900	2915 x 6=	17490
3	68	श्री गगन दीप	4350	श्री स्वरुप सिंह	1-10-16 से 31-3-17	3050	1300 x 6=	7800
4	69	श्री गगन दीप	5202	श्री सुरजीत सिंह	1-10-16 से 31-3-17	3100	2102 x 6=	12612
							योग =	**41508**

विषय की गंभीरता को मध्यनजर रखते हुए मासिक किराये के रूप में हुई हानि ₹41508 का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 131 दिनांक 17-07-2017 के माध्यम से सचिव नगर पंचायत दौलतपुर के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रतियुतर में सचिव नगर पंचायत द्वारा पत्र संख्याः 697/न.प./डी.प. दिनांक 24-07-17 में स्पष्ट किया कि उक्त दुकानों को खुली बोली द्वारा सबसे ऊँची बोली देने वाले बोलीदाता को दुकान नीलाम की गई है। उतर संतोषजनक नहीं है, कयोंकि न तो तीन बार बोली लगाने का अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया व न ही सदन द्वारा दुकानों को पिछले मासिक किराये से कम किराये पर नीलाम करने का प्रस्ताव, प्रस्ताव/कार्यवाही रजिस्टर में दर्ज है।

दुकानों के पिछले मासिक किराये को नज़रंदाज़ करते हुए व सदन के प्रस्ताव के बिना दुकानों का किराया अनियमित रूप से कम किया जाना आपतिजनक है। अतः उक्त वितीय हानि ₹41508 का उतरदायित्व निर्धारित किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

14 खाली दुकानों को पुनः खुली बोली द्वारा किराये पर न देने के कारण नगर पंचायत को ₹2.98 लाख की वितीय हानि :-

दुकानों के किराये से सम्बन्धित अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि दुकान संख्या 43, 47, 48, 54, 57, 60, 64, 65 व 66 को सम्बन्धित दुकानदारों द्वारा अंकेक्षण अवधि 1-04-15 से 31-03-2017 तक के दौरान विभिन्न तिथियों को खाली कर दिया था। लेकिन नगर पंचायत द्वारा उक्त ख़ाली की गई दुकानों को पुनः खुली बोली द्वारा किराये पर नहीं दिया गया, जिसके फलस्वरूप नगर पंचायत को निम्नविवरनानुसार अंकेक्षण अवधि 1-04-15 से 31-03-2017 तक ₹298048 की किराये के रूप में वितीय हानि हुई ।

क्र0सं0	दुकान संख्या	मासिक किराया	दुकान खाली रहने की अवधि	जितने माह खाली रही	आय की हानि	
1	43	833	1-11-2015 से 31-03-2017	17	833 x17 =	14161
2	47	2993	1-11-2015 से 31-03-2017	17	2993 x17 =	50881
3	48	3820	1-11-2015 से 31-03-2017	17	3820 x17 =	64940
4	54	2289	1-12-2016 से 31-03-2017	4	2289 x4 =	9156
5	57	2070	1-09-2016 से 31-03-2017	7	2070 x7 =	14490
6	60	1550	1-04-2015 से 31-03-2017	24	1550 x24 =	37200
7	64	1665	1-08-2015 से 31-03-2017	20	1665 x20 =	33300
8	65	1550	1-04-2015 से 31-03-2017	24	1550 x24 =	37200
9	66	1530	1-04-2015 से 31-03-2017	24	1530 x24 =	36720
					योग =	**298048**

उक्त किराये के रूप में हुई वितीय हानि का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 132 दिनांक 17-07-2017 के माध्यम से सचिव नगर पंचायत दौलतपुर के

ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रतियुतर में सचिव नगर पंचायत द्वारा पत्र संख्या: 698/न.प./डी.प. दिनांक 24-07-17 में स्पष्ट किया कि वितीय हानि का उतरदायित्व निर्धारित नहीं किया जा सकता। प्रतियुतर संतोषजनक नहीं है। ऐसा प्रतीत गोता है कि नगर पंचायत द्वारा दुकानों को किराये पर देने हेतु गम्भीर प्रयास नहीं किये गये है। अतः दुकानों को किराये पर न देने के कारण दिनांक 31-03-17 तक हुई वितीय हानि राशि ₹298048 का उतरदायित्व निर्धरित किया जाए व उपरोक्त दुकानों को शीघ्र अतिशीघ्र खुली बोली द्वारा किराये पर देने हेतु प्रभावी कार्यवाही अमल में लाई जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

15 अनुबन्ध की शर्तों के विपरीत प्रतिभूति ₹0.11 लाख का अनियमित भुगतान:-

दुकानों के किराये से सम्बन्धित अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि अनुबन्ध की शर्त नंबर-2 के अनुसार "The lessee shall pay 4 installment i.e. Qtr wise & last installment for 2 months rent in advance by the 5th of the Qtr/ month in which it falls due. He shall pay two months rent as security of the Nagar Panchayat, which shall be refunded on the lease unless it is forfeited in accordance with the term of the lease" जो दुकानदार निर्धारित पट्टा अवधि 11 माह पूर्व दुकान छोड़ देगा, उसकी प्रतिभूति राशि जब्त की जानी अपेक्षित थी । लेकिन नगर पंचायत द्वारा अनुबन्ध की शर्तों की पालना न करते हुए, जिन दुकानदारों द्वारा पट्टा अवधि 11 माह से पूर्व दुकानें छोड़ दी थी, प्रतिभूति ₹11188 जिसका विवरण निम्नानुसार है अनियमित रूप से वापिस कर दी गई। जिसके फलस्वरूप नगर पंचायत को ₹11188 की वितीय हानि हुई। अतः अनुबन्ध की शर्तों के विपरीत प्रतिभूति राशि लौटाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त अनियमितता के कारण नगर पंचायत को हुई वितीय हानि ₹11188 का उतरदायित्व निर्धारण करने उपरांत सम्पूर्ण राशि की वसूली सम्बन्धित उतरदायी अधिकारी/कर्मचारी से की जानी अपेक्षित है। अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

क्र0सं0	दुकान सं0	दुकानदार का नाम	पट्टा अवधि	दुकान छोड़ने की तिथि	प्रतिभूति वापिस करने की तिथि	राशि
1	47	श्रीमती किरण शर्मा	1-08-2015 से 30-06-2016	31-10-2015	3-12-2015	5986
2	52	श्री मेहर चन्द	1-10-2014 से 31-08-2015	31-12-2014	30-09-2016	5202
					कुल योग =	**11188**

16 बस अड्डा पार्किंग का ठेका आरक्षित मूल्य से कम मूल्य पर देने के कारण नगर पंचायत को ₹0.82 लाख की वितीय हानि

जाँच के दौरान पाया गया कि वितीय बर्ष 2015-16 में बस अड्डे की पार्किंग के ठेके हेतु आरक्षित मूल्य ₹800000 रखा गया, जबकि उक्त ठेका ₹778000 में नीलाम कर दिया गया। इसी तरह वितीय बर्ष 2016-17 में बस अड्डे की पार्किंग के ठेके हेतु आरक्षित मूल्य ₹750000 रखा गया, जबकि उक्त ठेका ₹690000 में नीलाम कर दिया गया। नियमानुसार आरक्षित मूल्य से कम मूल्य पर ठेका नहीं दिया जा सकता है। यदि आरक्षित मूल्य से कम मूल्य पर बोली दी जाती है तो उक्त नीलामी को निरस्त करके

पुनः बोली की जानी अनिवार्य है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान ऐसा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। नीलामी की दोषपूर्ण प्रक्रिया आरक्षित मूल्य से कम मूल्य पर ठेका देने के कारण नगर पंचायत को वितीय वर्ष 2015-16 व 2016-17 के दौरान क्रमशः ₹82000 (800000-778000=22000) + (750000-690000=60000) की वितीय हानि हुई है । उक्त वितीय हानि का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 136 दिनांक 17-07-17 के माध्यम से सचिव नगर पंचायत दौलतपुर के ध्यानार्थ लाया गया। लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तक उक्त अधियाचना का कोई भी प्रतियुतर अंकेक्षण दल को नहीं दिया गया। अतः उक्त वितीय हानि ₹82000 का उतरदायित्व निर्धारण करने उपरांत उतरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाए। भविष्य में गत वर्ष की ठेका/नीलामी राशि को आधार एवम आरक्षित मूल्य बना कर आधार/आरक्षित मूल्य से उच्च दरों पर बस अड्डे पार्किंग की नीलामी की जानी सुनिश्चित की जाए। ताकि किसी भी अनावश्यक हानि से बचा जा सके। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

17 कार पार्किंग का ठेका आरक्षित मूल्य से कम मूल्य पर देने के कारण नगर पंचायत को ₹0.11 लाख की वितीय हानि

जाँच के दौरान पाया गया कि अवधि 1-09-16 से 31-03-17 तक कार पार्किंग के ठेके हेतु आरक्षित मूल्य ₹25000 रखा गया था, जबकि कार पार्किंग का ठेका ₹14000 में श्री सुशील कुमार सुपुत्र श्री हंस राज गांव व डाकखाना चलेट को नीलाम कर दिया गया। नियमानुसार आरक्षित मूल्य से कम मूल्य पर ठेका नहीं दिया जा सकता है। यदि आरक्षित मूल्य से कम मूल्य पर बोली दी जाती है तो उक्त नीलामी को निरस्त करके पुनः बोली की जानी अनिवार्य है। नीलामी की दोषपूर्ण प्रक्रिया आरक्षित मूल्य से कम मूल्य पर ठेका देने के कारण नगर पंचायत को ₹11000 की वितीय हानि हुई है। उक्त वितीय हानि का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 135 दिनांक 17-07-17 के माध्यम से सचिव नगर पंचायत दौलतपुर के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रतियुतर में सचिव नगर पंचायत द्वारा पत्र संख्या: 704/NP/DPR दिनांक 24-07-17 में स्पष्ट किया कि अवधि 1-09-16 से 31-03-17 तक कार पार्किंग का ठेका नगर पंचायत के सदन द्वारा किया गया है । उतर संतोषजनक नहीं है, कयोंकि आरक्षित मूल्य से कम मूल्य पर ठेका नहीं दिया जा सकता है। यदि आरक्षित मूल्य से कम मूल्य पर बोली दी जाती है तो उक्त नीलामी को निरस्त करके पुनः बोली की जानी अनिवार्य है। अतः उक्त वितीय हानि ₹11000 का उतरदायित्व निर्धारण करने उपरांत उतरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाए। भविष्य में गत वर्ष की ठेका/नीलामी राशि को आधार एवम आरक्षित मूल्य बना कर आधार/आरक्षित मूल्य से उच्च दरों पर कार पार्किंग की नीलामी की जानी सुनिश्चित की जाए। ताकि किसी भी अनावश्यक हानि से बचा जा सके। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

18 गलत वेतन निर्धारण के कारण श्रीमती आशा राणा, कनिष्ठ सहायक, को वेतन एवम भत्तों के रूप में ₹11555 का अधिक एवम गलत भुगतान :-

जाँच के दौरान पाया गया कि श्रीमती आशा राणा, कनिष्ठ सहायक को गलत वेतन निर्धारण के कारण अवधि 01-03-16 से 30-06-17 तक वेतन एवम भत्तों के रूप में ₹11555 का निम्नानुसार अधिक एवम गलत भुगतान किया गया है ।

क्रम संख्या	अवधि	देय वेतन (पे + ग्रेड पे)	दिया गया वेतन (पे + ग्रेड पे)	अन्तर	महंगाई भत्ता की दर	महंगाई भत्ता राशि	आई० आर० 5% (1-08-16)	योग	माह	कुल राशि
1	1-03-16 से 30-6-16	14050+3600 = 17650	14360+3600 =17960	310	125%	388	-	698	4	2792
2	1-07-16 से 31-7-16	14050+3600 = 17650	14360+3600 =17960	310	127%	394	-	704	1	704
3	1-08-16 से 31-12-16	14050+3600 = 17650	14360+3600 =17960	310	127%	394	15	719	5	3595
4	1-01-17 से 28-02-17	14050+3600 = 17650	14360+3600 =17960	310	130%	403	15	728	2	1456
5	1-03-17 से 30-06-17	14580+3600 = 18180	14900+3600 =18500	320	130%	416	16	752	4	3008
									योग	**11555**

उक्त वेतन एवम भत्तों के रूप में किए गए अधिक एवम गलत भुगतान का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 141 दिनांक 18-07-2017 के माध्यम से सचिव नगर पंचायत दौलतपुर के ध्यानार्थ लाया गया । लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तक उक्त अधियाचना का कोई भी प्रतियुतर अंकेक्षण दल को प्राप्त नहीं हुआ। अतः गलत वेतन निर्धारण के कारण अवधि 1-03-16 से 30-06-17 तक श्रीमती आशा राणा, कनिष्ठ सहायक को वेतन एवम भत्तों के रूप में किए गए अधिक एवम गलत भुगतान ₹11555 की वसूली सम्बन्धित उतरदायी कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए। कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

19 श्रीमती आशा राणा, लिपिक को पूर्व तिथि 1-03-2006 से कनिष्ठ सहायक के पद पर गलत स्थापन (placement) :-

श्रीमती आशा राणा, लिपिक की सेवापंजिका की जांच करने पर पाया गया की श्रीमती आशा राणा को नगर पंचायत के कार्यालय आदेश संख्या: NP DPR / 2015 - 944 to 946 दिनांक 28-09-15 के अन्तर्गत पूर्व तिथि 1-03-2006 से कनिष्ठ सहायक के पद पर स्थापन प्रदान की गई है । हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल एक्ट 1994 के अनुसार पूर्व तिथि से किसी भी कर्मचारी/अधिकारी को स्थापन प्रदान करने का नियमों में कोई प्राबधान नहीं है । फलस्वरूप श्रीमती आशा राणा लिपिक, को पूर्व तिथि 1-03-2006 से कनिष्ठ सहायक के पद पर स्थापन का लाभ अनुचित है । उक्त पूर्व तिथि से श्रीमती

आशा राणा, लिपिक को कनिष्ठ सहायक के पद पर स्थापन के अनुचित लाभ के प्रकरण को अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 144 दिनांक 19-07-17 के माध्यम से सचिव नगर पंचायत दौलतपुर के ध्यानार्थ लाया गया। लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तक उक्त अधियाचना का कोई भी प्रतियुतर अंकेक्षण दल को प्राप्त नहीं हुआ। अतः श्रीमती आशा राणा लिपिक, को पूर्व तिथि 1-03-2006 से कनिष्ठ सहायक के पद पर स्थापन को नियमानुसार उचित ठहराया जाए अन्यथा श्रीमती आशा रानी लिपिक, को स्थापन की तिथि 28-09-15 से कनिष्ठ सहायक के पद पर स्थापन प्रदान की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवया जाए ।

20 मृत्यु एवम सेवानिवृति ग्रेजुटी के रूप में श्रीमती आशा कुमारी को ₹3.02 लाख का पंचायत निधि से अनाधिकृत भुगतान:-

जांच के दौरान पाया गया कि श्रीमती आशा कुमारी की मृत्यु उपरांत उसके परिज़नों को मृत्यु एवम सेवानिवृति ग्रेजुटी के रूप में चेक संख्या 659848 दिनांक 26-12-16 को ₹301692 का भुगतान पेंशन एवम उपदान निधि से न करके नगर पंचायत निधि से किया गया। जबकि उक्त भुगतान पेंशन एवम उपदान निधि से किया जाना अपेक्षित था। फलस्वरूप उक्त भुगतान नगर पंचायत निधि पर उचित एवम वैध प्रभार न होकर अनाधिकृत भुगतान है। नगर पंचायत निधि से किए गए अनाधिकृत भुगतान ₹301692 के प्रकरण को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 138 दिनांक 17-07-17 के माध्यम से सचिव नगर पंचायत दौलतपुर के ध्यानार्थ लाया गया। लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तिथि तक उक्त अधियाचना का कोई भी प्रतियुतर अंकेक्षण दल को प्राप्त नहीं हुआ। अतः उक्त राशि को पेंशन एवम उपदान निधि से आहिरत करके नगर पंचायत निधि में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया ।

21 गणना में त्रुटि के कारण श्री सतीश कुमार, संविदाकार को ₹1868 का अधिक एवम गलत भुगतान:-

कार्य का नाम :- Renovation of office building of N.P. Daulatpur Chownk.

संविदाकार का नाम :- श्री सतीश कुमार

बिल :- प्रथम एवम अन्तिम बिल

माप पुस्तिका संख्या व पृष्ट संख्या :- 46 व पृष्ठ 16 व 17

क्रम संख्या	मद संख्या	मद का नाम	वास्तविक मात्रा	दर्शाई गई मात्रा	अन्तर	दर	अधिक भुगतान
1	3	Painting two coats (excluding primary coat) of new wood based surface with enamel paint (wire gaglled) D1	1x4x.86x1.96 =6.74 m^2	22.85 m^2	16.11m^2	54	870
2	4	Painting two coats (excluding two coat) on new steel and other material surface with enamel paint brushing to give an even shade.	1x1x3.10x2.15=6.66m^2 1x1x3.10x2.15=6.66m^2 Total =13.32m2	14.98m^2 14.98m^2 =29.96m^2	16.64m^2	60	998

योग 1868

उपरोक्त उल्लेखित कार्य की जांच करने पर पाया गया कि गणना में त्रुटि के कारण संविदाकार श्री सतीश कुमार को ₹1868 का अधिक भुगतान किया गया था। उक्त अधिक भुगतान का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 142 दिनांक 19-07-2017 के माध्यम से सचिव नगर पंचायत दौलतपुर के ध्यानार्थ लाया गया। लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तक उक्त अधियाचना का कोई भी प्रतियुतर अंकेक्षण दल को नहीं दिया गया। अतः उक्त अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली सम्बन्धित संविदाकार से की जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

22 ₹1.02 लाख का अनावश्यक क्रय

(**क)** जाँच के दौरान पाया गया कि बिल संख्या: 021 दिनांक 19-11-2015 को 8 सीलिंग लाईट क्रय करने पर ₹95500 का भुगतान निम्नानुसार किया गया ।

क्रम संख्या	फर्म की विवरण	सामान का विवरण	मात्रा	दर	मूल्य
1	मैसर्ज महालक्ष्मी ट्रेडर्स नन्दपुर तहसील अम्ब जिला ऊना (हि० प्र०)	सीलिंग लाईट	8 नंबर्स	10500	84000
				वैट 13.75%	11550
				योग	**95550**

उपरोक्त उल्लेखित क्रय किए सामान को माह 7/17 तक जारी/प्रयोग नहीं किया गया है। बिना किसी आवश्यकता के सीलिंग लाईट का क्रय करना अनावश्यक क्रय को परिलक्षित करता है । फलस्वरूप ₹95550 का अनावश्यक क्रय किया गया। सीलिंग लाईट का 19 महीने तक उपयोग न करने के फलस्वरूप खराब भी हो सकती है। उक्त अनावश्यक क्रय ₹95550 का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 137 दिनांक 17-07-2017 को सचिव नगर पंचायत दौलतपुर के ध्यानार्थ लाया गया। लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तक उक्त अधियाचना का कोई भी प्रतियुतर अंकेक्षण दल को प्राप्त नहीं हुआ। अतः आवश्यकता न होने के बाबजूद भी ₹95550 के सामान को क्रय करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में अनावश्यक क्रय से निश्चित तौर पर परिहार किया जाए ।

(**ख)** जांच के दौरान पाया गया की वाउचर संख्या 8 दिनांक 3-11-16 को बिजली की विभिन्न मदों के अन्तर्गत ₹236162 का भारत इलेक्ट्रिकल होशियारपुर (पंजाब) को भुगतान किया गया था। उक्त बिल/वाउचर के क्रम संख्या 7 पर उल्लेखित क्रय किए गए एल्युमीनियम तार 6 एम एम 5 रोल, ₹1200 प्रति रोल की दर से ₹6000 किया गया

था, लेकिन उक्त क्रय किए सामान को माह 7/17 तक जारी/प्रयोग नहीं किया गया है। बिना किसी आवश्यकता के एल्युमीनियम तार 6 एम एम का क्रय करना अनावश्यक क्रय को परिलक्षित करता है। फलस्वरूप ₹6000 का अनावश्यक क्रय किया गया। अतः आवश्यकता न होने के बाबजूद भी ₹6000 के एल्युमीनियम तार 6 एम एम को क्रय करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में अनावश्यक क्रय से निश्चित तौर पर परिहार किया जाए ।

23 ₹1.19 लाख का अनुचित व्यय:-

जांच के दौरान पाया गया कि माह 11/16 के दौरान विभिन्न वाउचरों के अन्तर्गत निम्न विवरनानुसार ट्रैक्टर एच० पी० 19-3120 की मुरम्मत/डेंटिंग एवम पेंटिंग करवाने हेतु ₹118796 का भुगतान किया गया था ।

क्रम संख्या	बिल संख्या	दिनांक	फर्म का नाम	विवरण	राशि
1	739	शुन्य	मैसर्ज न्यू जगदम्बे एग्रो इंडस्ट्रीज अम्ब रोड झलेड़ा, जिला ऊना (हि० प्र०)	ट्रेक्टर ट्राली की मुरम्मत व डेंटिंग पेंटिंग	53245
2	131	25-10-16	जगदम्बे ऑटोमोबाइल्स अम्ब रोड झलेड़ा, जिला ऊना (हि० प्र०)	ट्रेक्टर की ओवरहालिंग	65551
				योग	**118796**

ट्रैक्टर की लौग बुक की जांच करने पर पाया गया कि दिनांक 19-04-14 के बाद ट्रैक्टर की न तो लौग़ बुक भरी गई थी व न ही ट्रेक्टर को प्रयोग लाया गया था। चर्चा के दौरान यह भी बताया गया कि वितीय वर्ष 2015-16 व 2106-17 के दौरान ट्रैक्टर का प्रयोग नहीं किया गया/चला नहीं है। फलस्वरूप वितीय वर्ष 2015-16 व 2106-17 के दौरान ट्रैक्टर का प्रयोग न करने के बाबजूद भी ट्रैक्टर व ट्राली की मुरम्मत/डेंटिंग एवम पेंटिंग करवाने हेतु ₹118796 का अनुपयोगी व्यय को परिलक्षित करता है। अतः वितीय वर्ष 2015-16 व 2106-17 के दौरान ट्रैक्टर का प्रयोग न होने के बाबजूद भी ट्रैक्टर एवम ट्राली की मुरम्मत/डेंटिंग एवम पेंटिंग करवाने हेतु ₹118796 के अनुपयोगी व्यय करने का औचत्य स्पष्ट किया जाए। यहाँ यह भी उल्लेखित करना नितांत अनिवार्य है कि नगर पंचायत के पास अपना एक टिप्पर गाड़ी है जिसे ही सफाई कार्यों हेतु प्रयोग में लाया जाता है व ट्रेक्टर का प्रयोग गत कई वर्षों से टिप्पर के क्रय के बाद नहीं किया गया है। फलस्वरूप ट्रेक्टर व ट्राली की मुरम्मत पर किया गया व्यय पूर्णतया अनुपयोगी व्यय है । ट्रैक्टर की लाग बुक आगामी अंकेक्षण के समय प्रस्तुत की जाये तथा मुरम्म्त पर किये गए व्यय का औचित्य स्पष्ट किया जाये।

24 भारत इलेक्ट्रिकल होशियारपुर (पंजाब) को ₹1143 का अधिक भुगतानः-

जांच के दौरान पाया गया कि वाउचर संख्याः 9 दिनांक 3-11-16 के अन्तर्गत माह 11/16 में भारत इलेक्ट्रिकल होशियारपुर (पंजाब) को 10 नंबर फ्लड लाईट क्रय करने पर ₹302438 का भुगतान निम्नानुसार किया गया ।

क्रम संख्या	सामान का विवरण	मात्रा	दर	मूल्य
1	एल० ई० डी० फ्लड लाईट 200 वाट	10	27000	270000
			वैट 14.30%	38610
			योग	**308610**
			टी० डी० एस० 2%	6172
			कुल भुगतान	**302438**

उपरोक्त उल्लेखित बिल/वाउचर की जांच करने पर पाया गया कि भारत इलेक्ट्रिकल होशियारपुर (पंजाब) ने टेंडर में एक फ्लड लाईट का मूल्य ₹26900 भरा था। जबकि एक फ्लड लाईट को ₹27000 के हिसाब से भुगतान कर दिया गया। फलस्वरूप ₹1143 (10x100=1000+14.3.1)+(1000x14.3%) का अधिक भुगतान किया गया। अतः उक्त अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली सम्वन्धित फर्म से की जानी सुनिश्चित की जाए तथा कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

25 ₹0.11 लाख के टी0डी0एस0की वसूली ना करनाः-

आयकर की धारा 194 सी में विहित प्रावधानों के अनुरूप वितीय वर्ष में संविदाकारों अथवा फर्म को किए गए ₹30000 से अधिक के एकल भुगतान व ₹75000 से अधिक के सकल भुगतान पर 2% की दर से टी० डी० एस० काटा जाना अनिवार्य था व धारा 194 (सी) किसी भी कार्य हेतु किए गए सभी प्रकार के अनुबन्धों चाहे वे लिखित हों या फिर मैखिक हो पर लागू होती है जैसे की विज्ञापन, कैटरिंग, ट्रांसपोर्ट लेवर सेवा कार्य व सामान इत्यादि का अनुबन्ध। आयकर की धारा 194 (सी) में विहित प्रावधानों की अनुपालना न करते हुए नगर पंचायत द्वारा अवधि 4/2015 से 1/2016 के दौरान श्री सोनू सुपुत्र श्री ज्ञान चन्द सफाई ठेकेदार से निम्नानुसार ₹11340 के टी० डी० एस० की कटौती नहीं की गई है

अवधि	ठेका राशि (प्रति माह)	महीनों की संख्या	भुगतान की गई राशि	2% टी० डी० एस० की राशि
4/15 से 11/15	56000	8	448000	8960
12/15 से 1/16	59500	2	119000	2380
		योग	**567000**	**11340**

अतः उक्त टी० डी० एस० की ₹11340 की सम्बन्धित संविदाकार से कटौती न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व नियमानुसार कटौती सुनिश्चित की जाये तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

26 निर्धारित दर से कम दर पर टेंडर बिक्री करने के कारण ₹0.16 लाख की वितीय हानि :-

हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या: PBW (B) -14(8)2004, दिनांक 24-02-2017 के अन्तर्गत ₹10 लाख तक के कार्यों हेतु टेंडर की लागत/बिक्री मूल्य ₹350 निर्धारित किया गया था। नगर पंचायत द्वारा उपरोक्त पत्र के अन्तर्गत टेंडर की बिक्री हेतु निर्धारित राशि से कम राशि पर टेंडर बिक्री करने के कारण नगर पंचायत को ₹15900 की हानि हुई । यह प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 148 दिनांक 24-07-2017 के अन्तर्गत सचिव, नगर पंचायत दौलतपुर चौंक के ध्यानार्थ लाया गया। लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तक उक्त अधियाचना का कोई भी प्रतियुतर अंकेक्षण दल को प्राप्त नहीं हुआ। अतः निर्धारित दर से कम दर पर टेंडर बिक्री के कारण हुई हानि ₹15900 का उतरदायित्व निर्धारण करने उपरान्त सम्पूर्ण राशि की वसूली उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी से की जानी अपेक्षित है। कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। निर्धारित दर से कम दर पर टेंडर बिक्री करने के कारण ₹15900 की हुई वितीय हानि का विवरण निम्नानुसार है ।

क्रम संख्या	कार्य का नाम	टेंडर विक्रय की तिथि	सरकार द्वारा निर्धारित दर (प्रति टेंडर)	बिक्री किए गए टेंडर की दर (प्रति टेंडर)	अन्तर	बिक्री किए गए टेंडरों की संख्या	राशि
1	c/o boundary wall along path k/devi L/R Meen H/O jagdish W.No. 2	21-04-15	350	100	250	3	750
2	c/o B/wall along path mulsana wala gohar	21-04-15	350	200	150	3	450
3	R/path mulsana wala gohar	3-07-15	350	100	250	3	750
4	c/o beam along mian ka talab path RD 0/32 – 0/62	3-07-15	350	100	250	3	750
5	c/o path Meen House upto Jagdish Pal ward No - 5	3-07-15	350	100	250	3	750
6	c/o side drain along path Kuan Devi L/road L/side near house of Manjeet	21-07-15	350	200	150	3	450

	ward no-2						
7	c/o side drain along path Kaun Devi L/road from path to Tewala well to culvert ward No-2	21-07-15	350	200	150	3	450
8	c/o path near H/O Brij Mohan ward no – 4	21-07-15	350	100	250	3	750
9	c/o path near H/O Brij Mohan ward no – 4 mohalla Rana	21-07-15	350	100	250	3	750
10	c/o path near H/O Sh. Sushil Kumar Mohalla Rana ward no 4	21-07-15	350	100	250	3	750
11	Tile tracing of munity of seevelonary Residential building of N.P. Daulatpur	7-08-15	350	100	250	3	750
12	Improvement of path Mian ka Talab c/o B/wall	7-08-15	350	200	150	3	450
13	c/o Jeepable Road for Abadi Gugga Rakkar SH-C/O R/Wall RD 0/10 – RD 0/25	7-08-15	350	200	150	3	450
14	Renovation of Secretary Residential Building N.P.Daulatpur chownk	7-08-15	350	100	250	3	750
15	C/O path near H/O Pawan kumar ward no-5	23-10-15	350	100	250	3	750
16	C/O path near H/O Kewal Kumar Moh. Lower Ward No. 4	23-10-15	350	100	250	3	750
17	R/O path b/w Bhaderkali Prathipur Road ward no - 1 Near H/O Bhardwaj	23-10-15	350	100	250	3	750
18	C/O R/wall near H/O Sh Jiwan Kumar ward no - 4	23-10-15	350	200	150	3	450
19	C/O R/wall near H/O Shankar ward no-3	23-10-15	350	200	150	3	450
20	Renovation of Secretary Residential Building SH- Flooring	23-10-15	350	100	250	3	750
21	C/O B/wall along path near H/O Sh. Paramjeet	23-10-15	350	100	250	3	750

	Singh ward no- 3						
22	Repair of shop situated at bari ward no-3	23-10-15	350	100	250	3	750
23	Path from Mohasar Sarai to Moh. Loharana Tirth Ram House Ward No-2 NP Daulatpur	7-12-15	350	100	250	3	750
24	C/O Retaining wall on path Deeraj Lohar near Talab ward no-3 NP Daulatpur	7-12-15	350	100	250	3	750
						योग	**15900**

27 उचित बिल के बिना लैटर पैड पर भुगतान करने बारे:-

जाँच के दौरान पाया गया कि वाउचर संख्या 41 दिनांक 18-11-15 को मैसर्ज एक्वा वाटर वर्ल्ड नंगल रोड ऊना (हि० प्र०) को ₹3000 का भुगतान निम्नानुसार लैटर पैड पर किया गया है ।

क्रम संख्या	मद का नाम	राशि
1	ए जी रीवीवर मेम्बरान	2100
2	पी एफ कैंडल	300
3	पोस्ट कार्बन फ़िल्टर	300
4	सर्विस चार्जेज	300
	योग	**3000**

उपरोक्त उल्लेखित फर्म से उक्त व्यय से सम्बन्धित उचित बिल प्राप्त न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा उक्त व्यय से सम्बन्धित उचित बिल सम्बंधित फर्म से प्राप्त करके सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिचित किया जाए।

28 शीर्षबार वर्गीकृत खाताबहियों तैयार न करना :-

जांच के दौरान पाया कि नगर पंचायत द्वारा वितीय वर्ष 2015-16 व 2016-17 के दौरान विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत आय ₹11956587, 13055541 व व्यय ₹11809417.98, 11156499.68 किया गया दर्शाया है। लेकिन आय व व्यय की मदवार खाताबहियां तैयार नहीं की गई थी शीर्षवार वर्गीकृत खाताबहियां तैयार न करने के कारण यह पुष्टि नहीं की जा सकती, कि वितीय वर्ष 2015-16 व 2016-17 के दौरान जिस शीर्ष के अन्तर्गत जितनी आय प्राप्त की गई दर्शाई गई वास्तव में उस शीर्ष के अन्तर्गत उतनी ही आय प्राप्त की गई है व जिस शीर्ष के अन्तर्गत जितना व्यय दर्शाया गया है वास्तव में उस शीर्ष के अन्तर्गत उतना ही व्यय किया गया है। शीर्षवार वर्गीकृत खाताबहियां तैयार न करने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 139 दिनांक 17-07-17 को सचिव नगर पंचायत दौलतपुर के ध्यानार्थ लाया गया । लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तक उक्त अधियाचना का कोई भी प्रतियुतर प्राप्त नहीं हुआ। अतः शीर्षवार वर्गीकृत खाताबहियां तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व शीर्षवार वर्गीकृत खाताबहियाँ

तैयार करने उपरांत सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए ।

29 **भविष्य निधि, कर्मचारी एवम नियोक्ता अंशदान व पेंशन एवम उपदान अंशदान की राशियों को प्रति माह सम्बन्धित खातों में जमा न करवाकर पांच माह उपरान्त जमा करवाना:-**

अंकेक्षण हेतु चयनित माह 11/15 में वाउचर संख्या 23 से 36 तक वेतन बिलों की जांच करने पर पाया गया कि निम्नानुसार अवधि जून/15 से अक्टूबर/15 तक भविष्य निधि, कर्मचारी अंशदान के रूप में कर्मचारियों के वेतन बिलों से प्रतिमाह कटौती की गई थी। लेकिन उक्त कटौती को प्रति माह कर्मचारियों के खातों में जमा न करवा कर पांच माह उपरांत खातों में ज़मा करवाया गया था व नियोक्ता अंशदान, पेंशन एवम उपदान अंशदान को भी पांच माह उपरान्त सम्बन्धित खाते में जमा करवाया गया था। जोकि एक गम्भीर वितीय अनियमितता होने के साथ साथ नियमों की अवहेलना है। उक्त अनियमितता को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 134 दिनांक 17-07-17 के माध्यम से सचिव नगर पंचायत दौलतपुर के ध्यानार्थ लाया गया। लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तक उक्त अधियाचना का कोई भी प्रतियुतर अंकेक्षण दल को नहीं दिया गया। अतः उक्त भविष्य निधि, कर्मचारी एवम नियोक्ता अंशदान व पेंशन एवम उपदान अंशदान की राशियों को प्रति माह सम्बन्धित खातों में जमा न करवाकर पांच माह उपरान्त जमा करवाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में प्रति माह भविष्य निधि, कर्मचारी एवम नियोक्ता अंशदान व पेंशन एवम उपदान अंशदान की राशियों को सम्बन्धित खातों में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

क्रम संख्या	कर्मचारी का नाम	पदनाम	मद का नाम	अवधि	राशि
1	श्री सतीश कुमार	सचिव	भविष्य निधि	6/15 से 10/15	50000
2	श्रीमती आशा रानी	कनिष्ठ सहायक	भविष्य निधि	6/15 से 10/15	40000
3	श्रीमती अनीता	सी० ओ०	भविष्य निधि	6/15 से 10/15	15000
4	श्रीमती आशा देवी	सफाई कर्मचारी	भविष्य निधि	6/15 से 10/15	5000
5	श्री प्रमोद सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता	कर्मचारी अंशदान	6/15 से 10/15	20403
			नियोक्ता अंशदान	6/15 से 10/15	20403
6	श्री नरेश कुमार	वर्क सुपरवाईजर	कर्मचारी अंशदान	6/15 से 10/15	8586
			नियोक्ता अंशदान	6/15 से 10/15	8586
7	श्री शमशेर सिंह	ड्राईवर	कर्मचारी अंशदान	6/15 से 10/15	9304
			नियोक्ता अंशदान	6/15 से 10/15	9304
8	पेंशन एवम उपदान अंशदान	12%+5%		6/15 से 10/15	162625
9	पेंशन एवम उपदान अंशदान	12%+5%		6/15 से 10/15	89530
				योग	**438741**

30 संस्थापना पर ₹42.04 लाख का अनाधिकृत व्यय किया जाना :-

हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 53(1) (ग) के अनुसार "संस्थापन पर व्यय" परिषद के कुल व्यय से एक तिहाई भाग से अधिक नहीं किया जाने का प्रावधान है। नगर पंचायत के व्यय की जांच करने पर पाया गया की वर्ष 2015-16 व 2016-17 के कुल व्यय ₹7040626 में से ₹6550731 संस्थापना पर व्यय उपरोक्त प्रावधानों के विपरीत किया गया अर्थात ₹4203856 का अनाधिकृत व्यय किया गया। जिसके विस्तृत विवरण निम्न दिया गया है। अतः हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 53 (1) (ग) के प्रावधानों के विपरीत संस्थापना पर अधिक व्यय करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए। प्रावधानों के विपरीत अनाधिकृत तरीके से किया गए ₹4203856 के व्यय को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमित किया जाए।

Sr. No.	Period	Total Exp. From own sources	Expenditure on Establishment	% of establishment expenditure to the total Expenditure	Admissible Expenditure on Establishment i.e. 1/3 of Total Exp.	Irregular Expenditure on Establishment
1	2015-16	3487189	3675766	105.41%	1162396	2513370
2	2016-17	3553437	2874965	80.91%	1184479	1690486
	Total	**7040626**	**6550731**		**2346875**	**4203856**

31 ₹0.26 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाना:-

नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण को **परिशिष्ट -(छ)** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार आयकर, बिक्री कर, श्रम कर व रॉयल्टी के रूप में दिनांक 31-03-17 तक वसूली गई ₹227428 में से ₹200930 सरकारी कोष में जमा करवाई गई थी। लेकिन शेष ₹26498 को सरकारी कोष में ज़मा नहीं करबाया गया। अतः उक्त राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अविलम्ब ₹26498 को सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित करवाया किया जाए। भविष्य में वसूले गए करों को तिमाही आधार पर सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

32 सूचनाएं प्रदान न करने बारे:-

अंकेक्षण दल द्वारा विभिन्न तिथियों को विभिन्न अंकेक्षण अधियाचनाओं के अन्तर्गत सूचनाएं उपलब्ध करवाने बारे सचिव, नगर पंचायत दौलतपुर से अनुरोध किया गया था, लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तक निम्न विवरनानुसार सूचनाएं उपलब्ध नहीं करवाई गई । जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए व वांछित सूचनाएं आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए ।

क्रम संख्या	अंकेक्षण अधियाचना संख्या	दिनांक	विवरण
1	122	4-07-17	i) अवधि 4/15 से 3/17 तक के दौरान नगर पंचायत वाहनों द्वारा कितने किलोमीटर की दूरी तय की गई| ii) अवधि 4/15 से 3/17 तक के दौरान नगर पंचायत के वाहनों की मुरम्मत करवाने हेतु कितनी राशि व्यय की गई|
2	128	15-07-17	अवधि 1-04-15 से 31-03-17 तक नगर पंचायत का टिपर व ट्रेक्टर कितने किलोमीटर चला|

33 बजट रजिस्टर का अनुरक्षण न करना:-

नगर पंचायत द्वारा व्यय से सम्बन्धित बजट रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया गया था जबकि नियमानुसार बजट रजिस्टर का अनुरक्षण करना अनिवार्य है, ताकि स्वीकृत बजट के अनुसार ही व्यय किया जा सके। अतः वितीय वर्ष 2015-16 व 2016-17 का बजट रजिस्टर तैयार किया जाए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत किए गए व्ययों को स्वीकृत बजट अनुसार ही व्यय किया गया है अथवा नहीं । अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

34 व्ययों को सदन से अनुमोदित न करवाना :-

नियमानुसार गत माह के विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत किए गए व्यय आगामी माह की बैठक में सदन से अनुमोदित करवाना अनिवार्य था लेकिन नगर पंचायत द्वारा वितीय वर्ष 2015-16 व 2016-17 में किए व्ययों को सदन से अनुमोदित नहीं करवाया गया जो कि एक गम्भीर अनियमितता व हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल अधिनियम की अवहेलना है । अतः वितीय वर्ष 2015-16 व 2016-17 के दौरान किए गए सम्पूर्ण व्ययों को हाऊस में अनुमोदित करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

35 स्थापना जांच रजिस्टर तैयार न करना:-

जांच के दौरान पाया गया की नगर पंचायत द्वारा वितीय वर्ष 2016-17 का स्थापना जांच रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था। जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए व वितीय वर्ष 2016-17 का स्थापना जांच रजिस्टर तैयार करने उपरांत सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

36 कर्मचारी अंशदान व नियोक्ता अंशदान का रजिस्टर तैयार न करना:-

जांच के दौरान पाया गया की नगर पंचायत द्वारा वितीय वर्ष 2016-17 का कर्मचारी अंशदान व नियोक्ता अंशदान का रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था। जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए व वितीय वर्ष 2016-17 का कर्मचारी अंशदान व नियोक्ता अंशदान का रजिस्टर तैयार करने उपरांत सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

37 सावधिक निवेश रजिस्टर तैयार न करना:-

जांच के दौरान पाया गया की वितीय वर्ष 2015-16 व 2016-17 में सावधिक निवेश के अन्तर्गत निवेशित राशियों को सावधिक निवेश रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया है । जबकि वितीय वर्ष 2015-16 व 2016-17 में सावधिक निवेश के अन्तर्गत निवेशित राशियों को सावधिक निवेश रजिस्टर में दर्ज किया जाना अनिवार्य था । अतः वितीय वर्ष 2015-16 व 2016-17 में सावधिक निवेश रजिस्टर तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व वांछित अभिलेख तैयार करने उपरान्त सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए

38 **लघु आपति विवरणिका :-** यह अलग से जारी नहीं की गई है ।

39 **निष्कर्ष :-** लेखों के रख-रखाव में सुधार की आवश्यकता है ।

हस्ता/–
(राकेश कालरा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः–फिन(एल0ए0)(5) 79–85/2011–खण्ड–2–6188–6189 दिनाँक,12.10.17 शिमला–171009,

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत 1 निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश, शिमला–171002 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 सचिव, नगर पंचायत दौलतपुर चौक, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/—
(राकेश कालरा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
0177—2620881

परिशिष्ट - (क) पैरा संख्या -1 (ग) से संदर्भित

गत अंकेक्षण एवम निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों की सूची :-

(1) अंकेक्षण एवम निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01/1982 से 3/1984

1)	पैरा – 2	अनिर्णीत

(2) अंकेक्षण एवम निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04 /1987 से 3/1988

1)	पैरा – 10 (बी)	अनिर्णीत
2)	पैरा – 10 (सी)	अनिर्णीत

(3) अंकेक्षण एवम निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1988 से 3/1995

1)	पैरा – 8 (त)	अनिर्णीत
2)	पैरा – 8 (घ)	अनिर्णीत

(4) अंकेक्षण एवम निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1995 से 3/2004

1)	पैरा – 6	अनिर्णीत
2)	पैरा – 8	अनिर्णीत
3)	पैरा – 11	अंशत निर्णीत
4)	पैरा – 14	अनिर्णीत
5)	पैरा – 15	अनिर्णीत
6)	पैरा – 16	अनिर्णीत
7)	पैरा – 18	अनिर्णीत
8)	पैरा – 20	अनिर्णीत
9)	पैरा – 22	अनिर्णीत
10)	पैरा – 25	अनिर्णीत
11)	पैरा – 26	अनिर्णीत

12)	पैरा – 29	अनिर्णीत
13)	पैरा – 33	अनिर्णीत
14)	पैरा – 34	अनिर्णीत
15)	पैरा – 35	अनिर्णीत
16)	पैरा – 36	अनिर्णीत
17)	पैरा – 37	अनिर्णीत
18)	पैरा – 42	अनिर्णीत
19)	पैरा – 43	अनिर्णीत
20)	पैरा – 44	अनिर्णीत
21)	पैरा – 45	अनिर्णीत

(5) अंकेक्षण एवम निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2004 से 3/2007

1)	पैरा – 4(ए)	अनिर्णीत
2)	पैरा – 4 (बी) (1)	अनिर्णीत
3)	पैरा – 4 (बी) (4)	अनिर्णीत
4)	पैरा – 6 (ए)	अनिर्णीत
5)	पैरा – 6 (बी)	अनिर्णीत
6)	पैरा – 6 (सी)	अनिर्णीत
7)	पैरा – 6 (डी)	अनिर्णीत
8)	पैरा – 7(ए)	अनिर्णीत
9)	पैरा – 7 (बी)	अनिर्णीत
10)	पैरा – 7 (डी) (ii)	अनिर्णीत

(6) अंकेक्षण एवम निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2007 से 3/2011

1)	पैरा – 5.2	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण एवम निरीक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या: 7.1 में सम्मलित है
2)	पैरा – 5.3	अनिर्णीत	
3)	पैरा – 6(3)(v)	अनिर्णीत	
4)	पैरा – 6.4(i)	अनिर्णीत	
5)	पैरा – 6.4(ii)	अनिर्णीत	
6)	पैरा – 6.4(iii)	अनिर्णीत	
7)	पैरा – 6.5 (i) (क, ख, ग, घ, ड.)	अनिर्णीत	
8)	पैरा – 6.5(ii)	अनिर्णीत	
9)	पैरा – 7.2.1	अनिर्णीत	
10)	पैरा – 7.2.2	अनिर्णीत	
11)	पैरा – 7.2.3	अनिर्णीत	
12)	पैरा – 7.2.4(i)(ii)	अनिर्णीत	

13)	पैरा – 8	अनिर्णीत	
14)	पैरा – 9.1(ii)	अनिर्णीत	
15)	पैरा – 9.1(iii)	निर्णीत	सक्षम अधिकारी के अनुमोदन की पुष्टि उपरान्त
16)	पैरा – 9.1(iv)	निर्णीत	सहायक अभियन्ता द्वारा टेस्ट चेक की पुष्टि उपरान्त
17)	पैरा – 9.1(v)	निर्णीत	समझौता वार्तालाप पत्र की पुष्टि उपरान्त
18)	पैरा – 9.4(i)	निर्णीत	प्रस्तुत उतर के आधार पर
19)	पैरा – 9.4(ii)	अनिर्णीत	
20)	पैरा – 9.5	निर्णीत	प्रस्तुत उतर के आधार पर
21)	पैरा – 9.7	अनिर्णीत	
22)	पैरा – 9.8	अनिर्णीत	
23)	पैरा – 9.10	अनिर्णीत	
24)	पैरा – 10	अनिर्णीत	

(7) अंकेक्षण एवम निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2011 से 3/2013

1)	पैरा – 5.1	अनिर्णीत
2)	पैरा – 5.3	अनिर्णीत
3)	पैरा – 7.7(i)	अनिर्णीत
4)	पैरा – 7.7(ii)	अनिर्णीत
5)	पैरा – 7.7(iii)	अनिर्णीत
6)	पैरा – 8	अनिर्णीत
7)	पैरा – 8.3	अनिर्णीत
8)	पैरा – 8.4	अनिर्णीत
9)	पैरा – 8.5	अनिर्णीत
10)	पैरा – 8.6	अनिर्णीत
11)	पैरा – 9.1	अनिर्णीत
12)	पैरा – 9.2	अनिर्णीत
13)	पैरा – 9.3	अनिर्णीत
14)	पैरा – 11	अनिर्णीत
15)	पैरा – 12	अनिर्णीत
16)	पैरा – 13	अनिर्णीत
17)	पैरा – 14	अनिर्णीत

(8) अंकेक्षण एवम निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2013 से 3/2015

1)	पैरा – 7	अनिर्णीत	
2)	पैरा – 8	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण एवम निरीक्षण के पैरा संख्या–7 पर प्रारूपित है
3)	पैरा – 8.1	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण एवम निरीक्षण के पैरा संख्या 7.1 पर प्रारूपित है
4)	पैरा – 9	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण एवम निरीक्षण के पैरा संख्या– 8 पर प्रारूपित है
5)	पैरा – 9.1	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण एवम निरीक्षण के पैरा संख्या 8.1 पर प्रारूपित है
6)	पैरा – 9.2	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण एवम निरीक्षण के पैरा संख्या 8.2 पर प्रारूपित है
7)	पैरा – 9.3	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण एवम निरीक्षण के पैरा संख्या 8.3 पर प्रारूपित है
8)	पैरा – 10	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण एवम निरीक्षण के पैरा संख्या– 9 पर प्रारूपित है
9)	पैरा – 11	अनिर्णीत	
10)	पैरा – 12	निर्णीत	₹4706106 की पेंशन एवम उपदान निधि की रोकड़ बही में माह 4/15 में लेखांकन करने की पुष्टि उपरान्त
11)	पैरा – 13	अनिर्णीत	
12)	पैरा – 14	अनिर्णीत	
13)	पैरा – 15	अनिर्णीत	
14)	पैरा – 16	अनिर्णीत	
15)	पैरा – 17	अनिर्णीत	
16)	पैरा – 18	अनिर्णीत	
17)	पैरा – 19	अनिर्णीत	
18)	पैरा – 20	अनिर्णीत	
19)	पैरा – 21	अनिर्णीत	
20)	पैरा – 22 (i)	अनिर्णीत	
21)	पैरा – 22(ii)	अनिर्णीत	
22)	पैरा – 22 (iii)	अनिर्णीत	

23)	पैरा – 23	अनिर्णीत	
24)	पैरा – 24	अनिर्णीत	
25)	पैरा – 25	निर्णीत	₹2400 की वसूली माह् 2 /17 की सम्बन्धित कर्मचारियों की पेंशन से करने की पुष्टि उपरान्त
26)	पैरा – 26	निर्णीत	₹120 की वसूली माह् 2 / 17 की सम्बन्धित कर्मचारी की पेंशन से करने की पुष्टि उपरान्त
27)	पैरा – 27	निर्णीत	₹4656 की वसूली की वाउचर संख्या 1 माह 6/16 व वाउचर संख्या-1 माह 8/16 के वेतन बिलों से करने की पुष्टि उपरान्त
28)	पैरा – 28	निर्णीत	₹570 चालान संख्या -4 दिनांक 31-03-16 द्वारा जमा करवाने की पुष्टि उपरान्त
29)	पैरा – 29	निर्णीत	30 लीटर डीज़ल का प्रयोग फोगिंग मशीन में करने की पुष्टि उपरान्त
30)	पैरा – 30	निर्णीत	₹30की वसूली जी -8 संख्या 192 / 36 दिनांक 31-3-17 द्वारा करने की पुष्टि उपरान्त
31)	पैरा – 31	निर्णीत	अनुपालना की पुष्टि उपरान्त
32)	पैरा – 32	अनिर्णीत	
33)	पैरा – 33	अनिर्णीत	
34)	पैरा – 34	निर्णीत	अनुपालना की पुष्टि उपरान्त

दिनांक 1.4.2015 को गत अंकेक्षण प्रतिवेदनो में सम्मिलित अनिर्णीत पैरों की संख्या	117
वर्तमान अंकेक्षण अवधि 1.4.2015 से 31.3.2017 में लगाए गए पैरों की संख्या	34
	145
वर्तमान अंकेक्षण में निर्णीत किए गए पैरों की संख्या	22
वर्तमान में शेष बचे अनिर्णीत पैरे	123